रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 21 नवम्बर, 1988/30 कार्तिक, 1910

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

(राजभाषा, विधायी खण्ड)

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 17 अगस्त, 1988

संख्या एल०एल०आर०(राजभाषा)-प्राधिकरण-1/88.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के राजपत्र, असाधारण तारीख 10 जनवरी, 1977 में राष्ट्रपति महोदय के प्राधिकार से राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उप-धारा (1)

2004—राजपत्र/88-21-11-88—1,250. (2715) मूल्य: 20 पैसे।

के खण्ड (क) के अनुसरण में प्रकाशित "विलयित राज्य (विधि) अधिनियम, 1949 (1949 का अधिनियम संख्यांक 59)" के प्राधिकृत हिन्दी पाठ को सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित करते हैं ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव (विधि) ।

विलयित राज्य (विधि) अधिनियम, 1949

(1949 का अधिनियम संख्यांक 59)

(1 सितम्बर, 1975 को यथाविद्यमान)

(26 दिसम्बर, 1949)

गवर्नरों के प्रान्तों के भागों के रूप में या मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के रूप में प्रशासित कुछ क्षेत्रों पर कुछ विधियों का विस्तार करने के लिए

अधिनियम

भारत शासन अधिनियम, 1935 की धारा 290क के अधीन आदेशों द्वारा कुछ क्षेत्रों के इस प्रकार प्रशासन के लिए उपबन्ध किया गया है मानो वे उनसे लगे हुए किसी गवर्नर के प्रान्त के भाग हों या मुख्य आयुक्त के प्रांत हों;

और यह उपबन्ध करना समीचीन है कि कुछ विधियों का विस्तार उक्त क्षेत्रों पर किया जाए और ऐसे विस्तार के आधार पर वे उक्त क्षेत्रों में प्रवृत्त हों;

अतः एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विलयित राज्य (विधि) अधिनियम, 1949 है ।

(2) यह 1950 की जनवरी के प्रथम दिन प्रवृत्त होगा ।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में,—

(क) "आमेलक प्रांत" और "विलयित राज्य" पदों के वही अर्थ हैं, जो राज्य विलयन (संयुक्त प्रान्त) आदेश, 1949 द्वारा यथासंशोधित राज्य विलयन (गवर्नरों के प्रान्त) आदेश, 1949 में हैं, और

(ख) "नए प्रान्त" पद से राज्य विलयन (संयुक्त प्रान्त) आदेश, 1949 द्वारा यथासंशोधित राज्य विलयन (मुख्य आयुक्तों के प्रान्त) आदेश, 1949 द्वारा गठित मुख्य आयुक्तों के प्रान्त अभिप्रेत हैं ।

विधियों का विस्तार।

3. (1) अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियम का विस्तार इसके द्वारा सभी नए प्रान्तों में किया जाता है और वे उनमें प्रवृत्त होंगे ।

(2) अनुसूची में विनिर्दिष्ट किन्हीं अधिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियम के जितने भाग का किसी आमेलक प्रान्त पर विस्तार है, और ऐसे मामलों से सम्बन्ध है जिनके बारे में डोमीनियन विधान-मंडल को गवर्नर के प्रांत के लिए विधियां बनाने की शक्ति है उतने भाग का विस्तार इसके द्वारा उन सब विलयित राज्यों पर किया जाता है, जो अब उस प्रांत के भाग के रूप में प्रशासित होते हैं और वह उनमें प्रवृत्त होगा ।

(3) यदि इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पहले किसी आमेलक प्रान्त में यथा-प्रवृत्त उक्त अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों में से कोई उस प्रान्त के विधान-मंडल द्वारा किए गए किन्हीं संशोधनों के अधीन है तो उस अधिनियम, अध्यादेश या

विनियम का विस्तार उन सब विलयित राज्यों में, जो अब उस प्रान्त के भाग के रूप में प्रशासित होते हैं, उक्त संशोधनों के इतने भाग के अधीन किया गया समझा जाएगा और वे उनमें प्रवृत्त होंगे जितने का उन मामलों से सम्बन्ध है जिनके बारे में डोमीनियन विधान-मंडल को गवर्नर के प्रान्त के लिए विधियां बनाने की शक्ति है ।

यथाविस्तारित विधियों का निर्वाचन ।

4. साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 में किसी बात के होते हुए भी, अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी अधिनियम, अध्यादेश या विनियम में :—

(क) सम्मिलित होने वाले राज्यों के प्रति, किसी भी प्रकार के शब्दों में, किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि विलयित राज्यों में से किसी के प्रति या राज्य विलयन (संयुक्त प्रान्त) आदेश, 1949 द्वारा यथासंशोधित राज्य विलयन (मुख्य आयुक्तों के प्रांत) आदेश, 1949 में उल्लिखित राज्यों में से (सौराष्ट्र के संयुक्त राज्य से भिन्न) किसी राज्य के प्रति निर्देश उसके अन्तर्गत नहीं है;

(ख) भारतीय ब्रिटिश प्राजाजनों के प्रति, किसी भी प्रकार के शब्दों में, किसी निर्देश के बारे में यह समझा जाएगा कि उसके अन्तर्गत उन व्यक्तियों के प्रति निर्देश भी हैं जो 1949 के अगस्त के प्रथम दिन के ठीक पहले विलयित राज्यों में से किसी के या राज्य विलयन (संयुक्त प्रान्त) आदेश, 1949 द्वारा यथासंशोधित राज्य विलयन (मुख्य आयुक्तों के प्रांत) आदेश, 1949 में उल्लिखित राज्यों में से (सौराष्ट्र के संयुक्त राज्य से भिन्न, किसी राज्य के प्रजाजन थे;

(ग) सामान्यतः प्रान्तों के प्रति या सामान्यतः मुख्य आयुक्तों के प्रांतों क प्रति, किसी भी प्रकार के शब्दों में, किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि नए प्रान्तों के प्रति निर्देश उसके अन्तर्गत हैं; और

(घ) आमेलक प्रान्त के प्रति, किसी भी प्रकार के शब्दों में, किसी भी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अन्तर्गत उन विलयित राज्यों के प्रति निर्देश भी हैं जो अब उस प्रान्त के भाग के रूप में प्रशासित होत हैं ।

समरूपी विधियों का निरसन

5. यदि अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी अधिनियम, अध्यादेश या विनियम का समरूपी कोई अधिनियम, अध्यादेश, विनियम या अन्य विधि नए प्रान्तों या विलयित राज्यों में से किसी में इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पहले प्रवृत्त है तो चाहे ऐसा अधिनियम, अध्यादेश, या विनियम, एक्स्ट्रा-प्रोविन्शियल जूरिस्डिक्शन ऐक्ट, 1947 के अधीन आदेश के आधार पर प्रवृत है या किसी अन्य विधायी शक्ति के आधार पर, ऐसी समरूपी विधि इस अधिनियम के प्रारंभ पर—

(क) नए प्रान्त में निरसित हो जाएगी; और

(ख) विलयित प्रान्त में उस सीमा तक निरसित हो जाएगी जहां तक उस विधि का ऐसे मामलों से संबंध है जिनके बारे में डोमीनियन विधानमंडल को गवर्नर के प्रान्त के लिए विधि बनाने की शक्ति है ।

व्यावृतियां ।

6. (1) नए प्रान्तों में या विलयित राज्यों में से किसी में इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पहले प्रवृत्त किसी समरूपी विधि का इस अधिनियम की धारा 5 द्वारा निरसन—

(क) किसी ऐसी विधि के पूर्व प्रवर्धन को, या

(ख) किसी ऐसी विधि के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के लिए उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड को, या

(ग) ऐसी शास्ति, समपहरण या दण्ड के बारे में किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार को,

प्रभावित नहीं करेगा और कोई ऐसा अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार इस प्रकार संस्थित, जारी, या प्रवर्तित किया जा सकेगा और कोई ऐसी शास्ति, समपहरण या दण्ड इस प्रकार अधिरोपित किया जा सकेगा मानो यह अधिनियम पारित नहीं किया गया था ।

(2) उप-धारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए यह है कि ऐसी समरूपी विधि के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, जिसके अन्तर्गत की गई कोई नियुक्ति या किया गया कोई प्रत्यायोजन, जारी की गई कोई अधिसूचना, आदेश, अनुदेश या निदेश, बनाया गया कोई नियम, विनियम, प्ररूप, उपविधि या स्कीम, दिया गया कोई प्रमाण-पत्र, पटेंट, अनुज्ञापत्र या अनुज्ञप्ति या किया गया कोई रजिस्ट्रीकरण भी है, उक्त अधिनियम, अध्यादेश या विनियम के, जिसका अब नए प्रान्त या विलयित राज्य पर विस्तार किया गया है और जो उसमें प्रवृत्त है, तत्समान उपबन्ध के अधीन की गई समझी जाएगी और तदनुसार तब तक जारी रहेगी जब तक उसे उक्त अधिनियम, अध्यादेश या विनियम के अधीन की गई किसी बात या कार्रवाई द्वारा अतिष्ठित नहीं कर दिया जाता ।

विधियों का लागू किया जाना सुगम बनाने के प्रयोजनार्थ न्यायालय और अन्य प्राधिकरणों की शक्तियां ।

7. अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी अधिनियम, अध्यादेश या विनियम का नए प्रान्तों या विलयित राज्यों में से किसी में लागू किया जाना सुगम बनाने के प्रयोजनार्थ, कोई न्यायालय या अन्य प्राधिकरण ऐसे किसी अधिनियम, अध्यादेश या विनियम का अर्थ उसके सार को प्रभावित न करने वाले ऐसे परिवर्तन के साथ लगा सकेगा जो उसे न्यायालय या अन्य प्राधिकरण के समक्ष मामले के अनुकूल बनाने के लिए उचित या आवश्यक हो ।

अनुसूची

(धारा 3 देखिए)

नए प्राप्तों और विलयित राज्यों पर विस्तारित विधियां

वर्ष	संख्या	संक्षिप्त नाम
1	2	3
1839	32	ब्याज अधिनियम, 1839
1841	10	इण्डियन रजिस्ट्रेशन आफ शिप्स ऐक्ट, 1841
1850	11	इण्डियन रजिस्ट्रेशन आफ शिप्स ऐक्ट, 1841 अमेन्डमेन्ट ऐक्ट, 1850।
1850	18	न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम, 1850
1850	19	अप्रन्टिसेस ऐक्ट, 1850
1850	21	जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम, 1850
1850	34	स्टेट प्रिजनर्स ऐक्ट, 1850
1850	37	लोक सेवक (जांच) वाद अधिनियम, 1850
1855	12	विधिक प्रतिनिधि वाद अधिनियम, 1855
1855	13	घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855
1856	9	भारतीय वहन-पत्र अधिनियम, 1856
1856	15	हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856
1857	13	अफीम अधिनियम, 1857
1858	3	स्टेट प्रिजनर्स ऐक्ट, 1858
1860	21	सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860
1860	45	भारतीय दण्ड संहिता, 1860
1861	5	पुलिस अधिनियम, 1861
1862	3	सरकारी मुद्रा अधिनियम 1862
1863	23	बंजर भूमि (दावे) अधिनियम, 1863
1865	3	वाहक अधिनियम, 1865
1866	21	सम्परिवर्तित व्यक्ति विवाह विघटन अधिनियम, 1866
1867	16	कार्यकारी न्यायाधीश अधिनियम, 1867
1867	25	प्रैस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867
1869	4	भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869
1870	7	न्यायालय फीस अधिनियम, 1870
1871	1	पशु अतिचार अधिनियम, 1871
1871	23	पैंशन अधिनियम, 1871
1871	31	इण्डियन वेट्स एण्ड मेजर्स आफ कपेसीटी ऐक्ट, 1871
1872	1	भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
1872	3	स्पेशल मैरिज ऐक्ट, 1872
1872	9	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872
1872	18	भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872
1873	5	सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873
1873	10	इंण्डियन ओथ्स ऐक्ट, 1873
1874	3	विवाहित महिला सम्पत्ति अधिनियम, 1874

1	2	3
1874	4	विदेशी भर्ती अधिनियम, 1874
1875	9	भारतीय वयस्कता अधिनियम, 1875
1875	18	भारतीय निर्णय पत्रिका अधिनियम, 1875
1877	1	स्पेसिफिक रिलीफ ऐक्ट, 1877
1878	1	अफीम अधिनियम, 1878
1878	6	भारतीय निखात निधि अधिनियम, 1878
1878	8	सी कस्टम्स ऐक्ट, 1878
1878	11	इंडियन आर्मस ऐक्ट, 1878
1879	18	विधि व्यवसायी अधिनियम, 1879
1880	1	धार्मिक सोसाइटी अधिनियम, 1880
1880	13	टीका अधिनियम, 1880
1881	11	नगरपालिक कराधान अधिनियम, 1881
1881	26	परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881
1882	2	भारतीय न्यास अधिनियम, 1882
1882	4	सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882
2882	7	मुख्तारनामा अधिनियम, 1882
1884	4	भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884
1885	18	भूमि अर्जन (खान) अधिनियम, 1885
1886	6	जन्म, मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1886.
1886	11	भारतीय ट्राम्वे अधिनियम, 1886
1887	7	वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1887
1887	9	प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887
1888	3	पुलिस अधिनियम, 1888
1889	4	इण्डियन मरकेण्डाइज मार्क्स ऐक्ट, 1889
1890	1	राजस्व वसूली अधिनियम, 1890
1890	6	पुर्त विन्यास अधिनियम, 1890
1890	8	संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890
1890	11	पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1890
1891	18	बककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891
1893	4	विभाजन अधिनियम, 1893
1894	1	भूमि अर्जन अधिनियम, 1894
1894	9	कारागार अधिनियम, 1894
1897	3	महामारी अधिनियम, 1897
1897	4	भारतीय मत्स्य-क्षेत्र अधिनियम, 1897
1897	10	साधारण खण्ड अधिनियम, 1897
1898	3	कुष्ठ रोगी अधिनियम, 1898
1898	5	दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898
1898	6	भारतीय डाक घर अधिनियम, 1898
1898	9	पशु-धन आयात अधिनियम, 1898
1899	2	भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899
1899	4	सरकारी इमारत अधिनियम, 1899
1900	3	बंदी अधिनियम, 1900

1	2	3
1901	2	भारतीय पथकर (सेना और वायु सेना) अधिनियम, 1901.
1903	7	भारतीय रक्षा-संकर्म अधिनियम, 1903
1903	14	इण्डियन फोरेन मैरेज ऐक्ट, 1903
1903	15	इण्डियन एक्स्ट्राडिशन ऐक्ट, 1903
1904	7	प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम, 1904
1905	4	भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905
1906	3	भारतीय सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906
1908	5	सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908
1908	6	विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908
1908	9	भारतीय लिमिटेशन ऐक्ट, 1908
1908	14	भारतीय दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 1908
1908	15	भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908
1908	16	रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908
1909	4	ह्विपिंग ऐक्ट, 1909
1909	7	आनन्द विवाह अधिनियम, 1909
1910	9	भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910
1911	2	भारतीय पेटेण्ट और डिजाइन अधिनियम, 1911
1911	8	इण्डियन आर्मी ऐक्ट, 1911
1911	10	राजद्रोहात्मक सभाओं का निवारण अधिनियम, 1911.
1912	4	भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912
1913	2	शासकीय न्यासी अधिनियम, 1913
1913	3	एडमिनिस्ट्रेटर जनरल ऐक्ट, 1913
1913	6	मुसलमान वक्फ विधिमान्यकरण अधिनियम, 1913
1913	7	इण्डियन कम्पनीज ऐक्ट, 1913
1914	2	नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914
1914	3	इण्डियन कापीराइट ऐक्ट, 1914
1914	9	स्थानीय प्राधिकारी उधार अधिनियम, 1914
1916	7	भारतीय चिकित्सा उपाधि अधिनियम, 1916
1916	15	हिन्दू सम्पत्ति व्ययन अधिनियम, 1916
1917	5	अभिलेख नाशकरण अधिनियम, 1917
1917	18	डाक घर नकदी पत्र अधिनियम, 1917
1918	2	चलचित्र अधियियम, 1918
1918	22	कांसा सिक्सा (वैध निविदा) अधिनियम, 1918
1919	1	स्थानीय प्राधिकारी पेंशन और उपदान अधिनियम, 1919.
1919	12	विष अधिनियम, 1919
1920	5	प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920
1920	10	भारतीय प्रतिभूति अधिनियम, 1920
1920	14	पूर्त और धार्मिक न्यास अधिनियम, 1920

1	2	3
1920	23	भारतीय राइफल अधिनियम, 1920
1920	33	बन्दी शनाख्त अधिनियम ,1920
1920	39	इंडियन इलैक्शन्स आफन्सेस एण्ड इन्क्वाइरिज ऐक्ट, 1920.
1920	42	इम्पीरियल बैंक आफ इंडिया ऐक्ट, 1920
1921	18	भरण पोषण आदेश प्रवर्तन अधिनियम, 1921
1922	22	पुलिस (द्रोह उद्दीपन) अधिनियम, 1922
1923	4	इंण्डियन माइन्स ऐक्ट, 1923
1923	5	भारतीय बायलर अधिनियम, 1923
1923	6	छावनी (गृह-आवास) अधिनियम, 1923
1923	8	कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923
1923	14	इण्डियन कॉटन सेस ऐक्ट, 1923
1923	19	शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923
1923	21	इण्डियन मर्चेण्ट शिपिंग ऐक्ट, 1923
1923	23	लीगल प्रैक्टिशनर्स (विमेन) ऐक्ट, 1923
1923	42	मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923
1924	2	छावनी अधिनियम, 1924
1924	4	सेण्ट्रल बोर्ड आफ रेवन्यू ऐक्ट, 1924
1924	19	लैण्ड कस्टम्स ऐक्ट, 1924
1925	4	भारतीय सैनिक (मुकद्दमा) अधिनियम, 1925
1925	12	कपास ओटाई और दबाई कारखाना अधिनियम, 1925.
1925	19	भविष्य निधि अधिनियम, 1925
1925	26	भारतीय समुद्र द्वारा माल वहन अधिनियम, 1925
1925	39	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925
1926	3	सरकारी व्यापार कराधान अधिनियम, 1926
1926	7	इण्डियन नैचुरलाइजेशन ऐक्ट, 1926
1926	12	कण्टेण्ट आफ कोर्ट्स ऐक्ट, 1926,
1926	16	व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926
1926	21	लीगल प्रैक्टिशनर्स (फीस) ऐक्ट, 1926
1926	38	इण्डियन बार काउन्सिल ऐक्ट, 1926
1927	16	भारतीय वन अधिनियम, 1927
1927	17	भारतीय दीप स्तंभ अधिनियम, 1927
1928	12	हिन्दू विरासत (निर्योग्यता निराकरण) अधिनियम, 1928.
1929	2	हिन्दू ला आफ इन्हेरिटेंस (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 1929
1929	19	बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929
1930	2	अनिष्टकर मादक द्रव्य अधिनियम, 1930
1930	3	माल विक्रय अधिनियम, 1930
1930	24	इण्डियन लाख सेस ऐक्ट, 1930
1930	30	हिन्दू विद्याधन अधिनियम, 1930
1930	32	मुसलमान वक्फ विधिमान्यकरण अधिनियम, 1930
1931	16	अंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931

1	2	3
1931	23	इण्डियन प्रैस (इमरजेन्सी पावर्स) ऐक्ट, 1931
1932	9	भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932
1932	12	फारेन रिलेशन्स ऐक्ट, 1932
1932	14	इण्डियन एयर फोर्स ऐक्ट, 1932
1932	20	पोर्ट हज कमेटीज ऐक्ट, 1923
1932	22	टी डिस्ट्रिक्ट्स इमिग्रेण्ट लेबर ऐक्ट, 1932
1932	23	दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 1932
1933	2	बालक (श्रम गिरवीकरण) अधिनियम, 1933
1933	27	इण्डियन मैडिकल काउन्सिल ऐक्ट, 1933
1934	2	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934
1934	8	खद्दर (नेम प्रोटेक्शन) ऐक्ट, 1934
1934	19	भारतीय डाक श्रमिक अधिनियम, 1934
1934	20	इण्डियन केरेज बाई एयर ऐक्ट, 1934
1934	22	वायुयान अधिनियम, 1934
1934	30	पैट्रोलियम अधिनियम, 1934
1934	32	इण्डियन टैरिफ ऐक्ट, 1934
1934	34	इण्डियन नेवी (डिसिप्लिन) ऐक्ट, 1934
1936	3	पारसी विवाह और विवाह विच्छेद अधिनियम, 1936.
1936	4	मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936
1937	1	कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937.
1937	18	हिन्दू विमेन्स राइट्स टु प्रापर्टी ऐक्ट, 1937
1937	19	आर्य विवाह (विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1937
1937	25	फैडरल न्यायालय अधिनियम, 1937
1937	26	मुस्लिम स्वीय विधि (शरीअत) लागू होना अधिनियम, 1937.
1938	4	बीमा अधिनियम, 1938
1938	5	युद्धाभ्यास और खुले क्षेत्र में गोला चलाने तथा तोप दागने का अभ्यास अधिनियम, 1938.
1938	8	इण्डियन टी कण्ट्रोल ऐक्ट, 1938
1938	20	दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 1938
1938	24	नियोजक दायित्व अधिनियम, 1938
1938	26	बालक नियोजन अधिनियम, 1938
1939	4	मोटर यान अधिनियम, 1939
1939	8	मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939
1939	9	बाट मापक अधिनियम, 1939.
1939	19	कोल माइन्स सेफ्टी (स्टोइंग) ऐक्ट, 1939
1939	—	इण्डियन नेवल रिजर्व फोर्सेस (डिसिप्लिन) ऐक्ट, 1939.
1940	5	ट्रेड मार्क्स ऐक्ट, 1940.

1	2	3
1940	10	माध्यस्थम् अधिनियम, 1940
1940	23	औषधि अधिनियम, 1940
1940	27	कृषि उपज उपकर अधिनियम, 1940
1941	19	माइन्स मैटर्निटी बेनेफिट ऐक्ट, 1941
1941	20	प्रोफेशन्स टैक्स लिमिटेशन ऐक्ट, 1941
1941	21	फेडरल कोर्ट ऐक्ट, 1941
1941	25	रेल (स्थानीय प्राधिकारी कर) अधिनियम, 1941
1942	7	काफी अधिनियम, 1942
1942	18	साप्ताहिक अवकाश अधिनियम, 1942
1942	19	इण्डस्ट्रियल स्टेटिस्टिक्स ऐक्ट, 1942
1942	26	फेडरल कोर्ट (सप्लीमेंटल पावर्स) ऐक्ट, 1942
1943	9	व्यतिकर अधिनियम, 1943
1944	1	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944
1944	10	इण्डियन कोकोनट कमेटी ऐक्ट, 1944
1944	18	लोक ऋण अधिनियम, 1944
1946	9	इण्डियन आयल सीड्स कमेटी ऐक्ट, 1946
1946	17	प्रोटेक्टिव ड्यूटीज ऐक्ट, 1946
1946	19	हिन्दू मैरिड विमेन्स राइट टु सैपेरेट रेसिडेन्स एंड मेण्टेनेन्स ऐक्ट, 1946.
1946	20	औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946.
1946	22	अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1946
1946	24	एसेन्शियल सप्लाइज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, 1946.
1946	25	दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946
1946	28	हिन्दू मैरेज डिसएबिलिटिज रिमूवल ऐक्ट, 1946
1947	2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947
1947	7	फारेन एक्सचेंज रेगुलेशन ऐक्ट, 1947
1947	12	रेलवेज (ट्रांसपोर्ट आफ गुड्स) ऐक्ट, 1947
1947	14	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
1947	15	सशस्त्र बल (आपात कर्त्तव्य) अधिनियम, 1947
1947	16	शत्रु के साथ व्यापार (आपात विषयक उपबन्धों का चालू रखना) अधिनियम, 1947.
1947	18	आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947
1947	24	रबड़ अधिनयिम, 1947
1947	29	पूंजी निर्गमन (नियंत्रण) अधिनियम, 1947
1947	31	एण्टिक्विटीज (एक्सपोर्ट कंट्रोल) ऐक्ट, 1947
1947	32	कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1947
1947	43	संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद्) अधिनियम, 1947
1947	44	संयुक्त राष्ट्र संघ (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947.
1948	1	फैडरल न्यायालय (अधिकारिता की वृद्धि) अधिनियम, 1948.

1	2	3
1948	8	फारमेसी अधिनियम, 1948
1948	9	डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948.
1948	11	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
1948	12	पुनर्वास वित्त प्रशासन अधिनियम, 1948
1948	15	औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948
1948	16	दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948
1948	22	भारतीय पावर एलकोहल अधिनियम, 1948
1948	29	एटामिक एनरजी ऐक्ट, 1948
1948	32	रोड ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन्स ऐक्ट, 1948
1948	34	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
1948	37	जनगणना अधिनियम, 1948
1948	40	भारतीय विवाह विषयक मामले (युद्धकालीन विवाह) अधिनियम, 1948.
1948	46	कोयला खान भविष्य निधि तथा बोनस स्कीम अधिनियम, 1948.
1948	47	विस्थापित व्यक्ति (वाद संस्थित करना) अधिनियम, 1948.
1948	53	तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948.
1948	54	विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948
1948	61	केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948
1948	63	कारखाना अधिनियम, 1948
1949	10	बैंककारी कम्पनी अधिनियम, 1949
1949	13	सेण्ट्रेल टी बोर्ड ऐक्ट, 1949
1949	21	हिन्दू मैरेजेज वेलिडिटी ऐक्ट, 1949
1949	23	इन्फ्लक्स फ्राम पाकिस्तान (कण्ट्रोल) ऐक्ट, 1949
1949	25	डिस्प्लेस्ड पर्सन्स (लीगल प्रोसीडिंग्स) ऐक्ट, 1949
1949	30	पब्लिक कम्पनी (लिमिटेशन आफ डिविडेण्डस) ऐक्ट, 1949.
1949	38	चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट अधिनियम, 1949
		अध्यादेश
1940	4	करेन्सी अध्यादेश, 1940
1941	11	आवश्यक सेवाएं (बनाए रखना) अध्यादेश, 1941
1942	41	सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अध्यादेश, 1942
1943	38	दण्ड विधि संशोधन अध्यादेश, 1944
1944	42	डाक घर राष्ट्रीय बचतपत्र अध्यादेश, 1944
1945	47	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि और बैंक अध्यादेश, 1945
1949	11	औद्योगिक अधिकरण बोनस संदाय (राष्ट्रीय बचतपत्र) अध्यादेश, 1949

1	2	3

विनियम

1818	3	बंगाल राज्य बन्दी विनियम, 1818

शिमला-2, 17 अगस्त, 1988

संख्या एल0 एल0 आर0 (राजभाषा)-प्राधिकरण-1/88.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के राजपत्र, असाधारण तारीख 8 जून, 1976 में राष्ट्रपति महोदय के प्राधिकार से राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अनुसरण में प्रकाशित "हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर (नया राज्य) अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 32)" के प्राधिकृत हिन्दी पाठ को सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव (विधि)।

हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर (नया राज्य) अधिनियम, 1954

(1954 का अधिनियम सं0 32)

(1 सितम्बर 1975 को यथाविद्यमान)

(28 मई, 1954)

वर्तमान हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर राज्यों को संयोजित करके नए हिमाचल प्रदेश राज्य के निर्माण के लिए और उससे सम्बन्धित विषयों के वास्ते उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पांचवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

भाग 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर (नया राज्य) अधिनियम, 1954 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "अनुच्छेद" से संविधान का अनुच्छेद अभिप्रेत है;

(ख) * * * *

(ग) "वर्तमान राज्यों" से इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पहले संविधान की प्रथम अनुसूची के भाग ग में बिलासपुर और हिमाचल प्रदेश के रूप में विनिर्दिष्ट राज्य अभिप्रेत हैं और "वर्तमान राज्य" से इन वर्तमान राज्यों में से कोई अभिप्रेत है;

(घ) "विधि" के अन्तर्गत वर्तमान राज्यों में से किसी भी सम्पूर्ण राज्य में या उसके किसी भाग में विधि का बल रखने वाली कोई अधिनियमिति, अध्यादेश, विनियम, आदेश, नियम, स्कीम, अधिसूचना, उपविधि या अन्य लिखत है;

(ङ) "आदेश" से राजपत्र में प्रकाशित आदेश अभिप्रेत है;

(च) "संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र" का वही अर्थ है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में है;

(छ) "आसीन सदस्य" से संसद के किसी सदन के संबंध में या वर्तमान हिमाचल प्रदेश राज्य के विधान-मंडल के संबंध में वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पहले, यथास्थिति, उस सदन का या उस विधान-मंडल का सदस्य है ।

भाग 2

नये हिमाचल प्रदेश राज्य का निर्माण

नए हिमाचल प्रदेश राज्य का निर्माण ।

3. इस अधिनियम के प्रारम्भ से, वर्तमान राज्यों को संयोजित करके एक नए भाग राज्य का निर्माण किया जाएगा जो हिमाचल प्रदेश राज्य कहलाएगा (जिसे इसके पश्चात् इस अधिनियम में "नया राज्य" कहा गया है) ।

संविधान की प्रथम अनुसूची का संशोधन

4. संविधान की प्रथम अनुसूची में, भाग ग में, —

(क) "राज्यों के नाम" शीर्षक के अधीन —

(i) प्रविष्टि "3. बिलासपुर" का लोप किया जाएगा; और

(ii) 4 से 10 तक की प्रविष्टियों को क्रमशः 3 से 9 तक की प्रविष्टियों के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा ;

(ख) "राज्यों के राज्यक्षेत्र" शीर्षक के अधीन प्रथम पैरा के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यक्षेत्र में वे राज्यक्षेत्र समाविष्ट होंगे जो हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर (नया राज्य) अधिनियम, 1954 के प्रारम्भ के ठीक पहले बिलासपुर और हिमाचल प्रदेश राज्यों में समाविष्ट थे ।"

भाग 3

विधान मण्डलों में प्रतिनिधित्व

राज्य सभा

राज्य सभा में प्रतिनिधित्व ।

5. (1) राज्य सभा में नए राज्य को एक स्थान आवंटित किया जाएगा ।

(2) वर्तमान राज्यों को समाविष्ट करने वाले राज्य-समूह का प्रतिनिधित्व करने वाला राज्य सभा का आसीन सदस्य, इस अधिनियम के प्रारम्भ से राज्य सभा में नए राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा, किन्तु ऐसे आसीन सदस्य के कार्यकाल की अवधि अपरिवर्तित रहेगी, अर्थात्, वह 1958 के अप्रैल की 2 तारीख को समाप्त हो जाएगी ।

संविधान की चतुर्थ अनुसूची का संशोधन ।

6. संविधान की चतुर्थ अनुसूची में, प्रथम अनुसूची के भाग ग में उल्लिखित राज्यों के प्रतिनिधियों से संबंधित स्थानों की सारणी में :—

(i) प्रविष्टि 4 और 5 के स्थान पर प्रविष्टि "4. हिमाचल प्रदेश.....1" रखी जाएगी; और

(ii) 6 से 10 तक की प्रविष्टियों को क्रमशः 5 से 9 तक की प्रविष्टियों के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा ।

1950 के अधिनियम संख्या 43 की धारा 27क का संशोधन ।

7. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 27क में, —

(i) उपधारा (5) में "दिल्ली" शब्द के स्थान पर "दिल्ली, हिमाचल प्रदेश" शब्द रखे जाएंगे; और

(ii) उपधारा (6) का लोप किया जाएगा ।

लोक सभा

लोक सभा में प्रतिनिधित्व ।

8. जब तक विधि द्वारा अन्य उपबन्ध नहीं किया जाता, लोक सभा में नए राज्य को 4 स्थान आवंटित किए जाएंगे ।

1950 के अधिनियम संख्या 43 प्रथम अनुसूची का संशोधन ।

9. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की प्रथम अनुसूची में, भाग ग राज्यों से संबंधित भाग में :—

(i) प्रविष्टी 3 का लोप किया जाएगा;

(ii) 4 से 12 तक की प्रविष्टियों को क्रमशः 3 से 11 तक की प्रविष्टियों के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा; और

(iii) हिमाचल प्रदेश के सामने स्तम्भ 2 में "3" अंक के स्थान पर "4" अंक रखा जाएगा ।

नए राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और उनका परिसीमन ।

10. (1) जब तक विधि द्वारा अन्य उपबंध नहीं किया जाता, नए राज्य में निम्नलिखित तीन संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र होंगे, अर्थात् :—

(i) बिलासपुर निर्वाचन-क्षेत्र जिसमें वर्तमान बिलासपुर राज्य समाविष्ट है, और

(ii) वे दो निर्वाचन-क्षेत्र जिनमें वर्तमान हिमाचल प्रदेश राज्य विभाजित किया गया है ।

(2) जब तक विधि द्वारा अन्य उपबंध नहीं किया जाता, संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (भाग ग राज्य) आदेश, 1951, प्रथम अनुसूची में किए गए संशोधनों के अधीन प्रभावी होगा ।

आसीन सदस्य ।

11. (1) वर्तमान बिलासपुर राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला लोक सभा का आसीन सदस्य, इस अधिनियम के प्रारम्भ से, नए राज्य के बिलासपुर निर्वाचन-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा और उस निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचित समझा जाएगा ।

(2) वर्तमान हिमाचल प्रदेश राज्य के किसी निर्वाचन-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला लोक सभा का प्रत्येक आसीन सदस्य, इस अधिनियम के प्रारम्भ से, नए राज्य में उसी नाम वाले निर्वाचन-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा और उस निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचित समझा जाएगा ।

नए राज्य की विधान सभा

12—16. निरसित ।

प्रकीर्ण

1950 के अधिनियम संख्या 43 की धारा 13 का संशोधन ।

17. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13 में उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में "बिलासपुर" शब्द का लोप किया जाएगा ।

18. निरसित ।

संविधान (अनुसूचित जातियां) (भाग ग राज्य) आदेश, 1951 का संशोधन ।

19. संविधान (अनुसूचित जातियां) (भाग ग राज्य) आदेश, 1951, द्वितीय अनुसूची में दर्शित रूप में संशोधित किया जाएगा ।

1952 के अधिनियम संख्या 81 की धारा 9 का संशोधन ।

20. परिसीमन आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 9 में, उप-धारा (3) में "और उक्त अधिनियमों में से किसी के अधीन दिए गए आदेशों" शब्दों के स्थान पर "हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर (नया राज्य) अधिनियम, 1954 और उक्त अधिनियमों में से किसी के अधीन दिए गए आदेशों" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।

1950 के अधिनियम संख्या 43 का अर्थान्वयन ।

21. इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में हिमाचल प्रदेश के प्रति किसी निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह नए राज्य के प्रति निर्देश है ।

निर्वाचन-क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियां ।

22. (1) वर्तमान राज्यों के निर्वाचन-क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियां, इस अधिनियम के प्रारम्भ से नए राज्य में उसी नाम के निर्वाचन-क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियां समझी जाएंगी और तब तक प्रवृत्त रहेंगी जब तक विधि के अनुसार ऐसी नामावलियां पुनरीक्षित नहीं की जातीं या नई नामावलियां तैयार नहीं की जातीं ।

(2) * * * *

परिसीमन आयोग की अपने आदेशों को पुनरीक्षित करने की शक्ति ।

23. परिसीमन आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 8 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार लोक सभा में नए राज्य को आवंटित किए जाने वाले स्थानों की संख्या अवधारित करने और उसकी उप-धारा (2) के उपबन्धों के अनुसार उन स्थानों तथा नए राज्य की विधान सभा के लिए नियत स्थानों को प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों को वितरित करने तथा उनका परिसीमन करने के प्रयोजनार्थ परिसीमन आयोग के लिए वह विधिसम्मत होगा कि उस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वह उस अधिनियम की धारा 9 क अधीन प्रकाशित अपने अंतिम आदेशों में से किसी को संशोधित, परिवर्तित या विखण्डित करे जहां ऐसा कोई आदेश दोनों वर्तमान राज्यों या उनमें से किसी से सम्बन्धित है ।

24. निरसित ।

भाग 4

न्यायालय

25. इस अधिनियम के प्रारम्भ से, —

नए राज्य के लिए न्यायिक आयुक्त का न्यायालय ।

(क) वर्तमान राज्यों के न्यायिक आयुक्तों के न्यायालयों को (जिन्हें इसके पश्चात् इस भाग में "वर्तमान न्यायालय" कहा गया है) समामेलित किया जाएगा और उनसे नए राज्य के लिए न्यायिक आयुक्त का न्यायालय बनेगा (जिसे इसके पश्चात् इस भाग में "नया न्यायालय" कहा गया है) ;

(ख) वर्तमान हिमाचल प्रदेश राज्य के न्यायिक आयुक्त और अपर न्यायिक आयुक्त, यदि कोई हों, नए राज्य के क्रमशः न्यायिक आयुक्त और अपर न्यायिक आयुक्त होंगे;

(ग) प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पहले वर्तमान न्यायालयों में से किसी का अधिकारी या सेवक है, नए न्यायालय का, यथास्थिति, अधिकारी या सेवक होगा और सेवा के उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर (अथवा उनके उतने ही समान निबन्धनों और शर्तों पर जितने इस अधिनियम द्वारा किए गए परिवर्तनों से अनुज्ञात हों) नियुक्त किया गया समझा जाएगा जो ऐसे प्रारम्भ के ठीक पहले उसको लागू थे :

परन्तु इस खण्ड की कोई भी बात नए न्यायालय को किसी कार्यालय या पद के नाम या कर्त्तव्यों को परिवर्तित करने से रोकने वाली नहीं समझी जाएगी;

(घ) नए न्यायालय को सब ऐसी मूल, अपीली या अन्य अधिकारिता होगी जो नए राज्य का भाग होने वाले किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में वर्तमान न्यायालयों में से किसी के द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पहले किसी विधि के अधीन प्रयुक्त की जा सकती है;

(ङ) नए न्यायालय को सम्पूर्ण नए राज्य में अधिवक्ताओं, वकीलों और प्लीडरों को स्वीकृत करने, निलम्बित करने और हटाने की तथा अधिवक्ताओं, वकीलों और प्लीडरों के बारे में नियम बनाने की वही शक्तियां होंगी जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पहले वर्तमान न्यायालयों में से किसी के द्वारा प्रयुक्त की जा सकती हैं :

परन्तु इस खण्ड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नए न्यायालय द्वारा बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन, किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पहले वर्तमान न्यायालयों में से किसी में विधि-व्यवसाय करने के लिए हकदार अधिवक्ता, वकील या प्लीडर है, नए न्यायालय में विधि-व्यवसाय करने के लिए हकदार अधिवक्ता, वकील या प्लीडर के रूप में मान्यता दी जाएगी ;

(च) इस भाग के उपबंधों के अधीन, वर्तमान हिमाचल प्रदेश राज्य के न्यायिक आयुक्त के न्यायालय में पद्धति और प्रक्रिया के बारे में इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पहले प्रवृत्त विधि, जब तक कि किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसमें फेरफार या परिवर्तन नहीं कर दिया जाता, नए न्यायालय

के संबंध में ऐसे परिवर्तनों के साथ लागू होगी जो उस न्यायालय द्वारा किए जाएं;

(छ) न्यायिक आयुक्त न्यायालय (उच्च न्यायालय के रूप में घोषणा) अधिनियम, 1950, नए न्यायालय को ऐसे लागू होगा मानो नया न्यायालय उस अधिनियम के प्रारम्भ पर विद्यमान था; और वर्तमान हिमाचल प्रदेश राज्य के न्यायिक आयुक्त के न्यायालय से उच्चतम न्यायालय को अपीलों के संबंध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पहले प्रवृत्त कोई अन्य विधि, आवश्यक परिवर्तनों के साथ, नए न्यायालय के संबंध में लागू होगी; 1950 का 15

(ज) वे सब कार्यवाहियां, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पहले वर्तमान न्यायालयों में से किसी में लम्बित हैं, इस अधिनियम के आधार पर नए न्यायालय को अन्तरित हो जाएंगी और इस प्रकार जारी रखी जाएंगी मानो वे उस न्यायालय में संस्थित कार्यवाहियां थी;

(झ) यथापूर्वोक्त किसी कार्यवाही में वर्तमान न्यायालयों में से किसी के द्वारा दिया गया कोई आदेश सभी प्रयोजनों के लिए उसी न्यायालय के आदेश के रूप में ही नहीं वरन् नए न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के रूप में भी प्रभावी होगा;

(ञ) वर्तमान न्यायालयों में से किसी के प्रति, चाहे किसी भी नाम से, किसी विधि में निर्देशों का अर्थ, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, नए न्यायालय के प्रति निर्देशों के रूप में किया जाएगा ।

अधीनस्त न्यायालय ।

26. वे सब न्यायालय जो नए राज्य का भाग होने वाले किसी क्षेत्र में इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पहले वर्तमान न्यायालयों में से किसी के अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन विधिसम्मत शक्तियों, प्राधिकार और अधिकारिता का प्रयोग कर रहे थे, जब तक सक्षम विधान-मण्डल या प्राधिकारी द्वारा और उपबन्ध नहीं कर दिया जाता, नए न्यायालय के अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन उस क्षेत्र में अपनी-अपनी शक्तियों, अप्राधिकार तथा अधिकारिता का प्रयोग करते रहेंगे ।

भाग 5

प्रशासकीय और प्रकीर्ण उपबन्ध

वर्तमान प्राधिकारियों और अधिकारियों का नए राज्य में कृत्य करते रहना ।

27. इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय न्यायिक, कार्यपालक और अनुसचिवीय सभी प्राधिकारी और सभी अधिकारी, जो नए राज्य का भाग होने वाले किसी क्षेत्र में, इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पहले, विधिसम्मत कृत्यों का प्रयोग कर रहे थे, जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा और उपबन्ध नहीं कर दिया जाता अपने-अपने कृत्य यथाशक्य उसी रीति से और उसी विस्तार तक करते रहेंगे जैसे वे ऐसे प्रारम्भ के पहले कर रहे थे ।

वर्तमान विधियों का जारी रहना ।

28. इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय, नए राज्य का भाग होने वाले किसी क्षेत्र में इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पहले प्रवृत्त सब विधियां तब तक प्रवृत्त बनी रहेंगी जब तक सक्षम विधान-मंडल या प्राधिकारी द्वारा निरसित या संशोधित नहीं की जाती ।

विधियों का अर्थान्वयन करने की शक्ति ।

29. इस अधिनियम के प्रारम्भ के पहले बनाई गई किसी विधि को नए राज्य के सम्बन्ध में लागू करना सुगम बनाने के प्रयोजन के लिए कोई न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण, इस अधिनियम के किसी अभिव्यक्त उपबन्ध के अधीन रहते हुए, उस विधि का अर्थान्वयन, सार को प्रभावित न करने वाले ऐसे परिवर्तनों के सहित कर सकेगा

जो उसे, यथास्थिति, उस न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष किसी मामले के अनुकूल बनाने के लिए आवश्यक या उचित हों ।

30. उन सब करों, शुल्कों, उपकरों और फीसों का, जिनका वर्तमान राज्यों में से किसी में या उसके किसी भाग में विधिपूर्वक उद्ग्रहण किया जा रहा था, उसी रीति में और उसी परिमाण तक उद्ग्रहण किया जाना और उन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किया जाना जारी रहेगा जब तक कि सक्षम विधान-मण्डल या प्राधिकारी द्वारा अन्य उपबन्ध नहीं कर दिया जाता । वर्तमान करों का जारी रहना ।

31. इस अधिनियम की कोई भी बात केन्द्रीय सरकार की भाखड़ा नंगल परियोजना के सम्बन्ध में ऐसे प्रबन्ध करने या ऐसे कार्य करने की शक्तियों का अल्पीकरण करने वाली नहीं समझी जाएगी जो, परियोजना के प्रयोजनों का सम्यक् ध्यान रखते हुए, उसका उचित प्रशासन और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, आवश्यक हों । भाखड़ा-नंगल परियोजना के संबंध में केंद्रीय सरकार की शक्तियों की व्यावृत्ति ।

32. यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राष्ट्रपति ऐसे आदेश दे सकेगा, जो उक्त उपबन्धों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों : कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

परन्तु राष्ट्रपति द्वारा ऐसी किसी शक्ति का प्रयोग इस अधिनियम के प्रारम्भ से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

प्रथम अनुसूची

(धारा 10 देखिए)

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन (भाग ग राज्य) आदेश, 1951 में संशोधन

1. पैरा 2 में "बिलासपुर और" शब्दों का लोप कीजिए ।

2. चौथी सारणी में छम्ब-सिरमौर निर्वाचन-क्षेत्र से सम्बन्धित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित कीजिए, अर्थात् :—

"बिलासपुर	बिलासपुर	1"

द्वितीय अनुसूची

(धारा 19 देखिए)

संविधान (अनुसूचित जातियां) (भाग ग राज्य) आदेश, 1951 का संशोधन

1. पैरा 2 में "भाग 1 से 10" के स्थान पर "भाग 1 से 9" रखिए ।

2. पैरा 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखिए, अर्थात् :—

"4. इस आदेश की अनुसूची में,—

(क) हिमाचल प्रदेश राज्य या उसके जिले या अन्य प्रादेशिक खण्ड के प्रति किसी निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर (नया राज्य) अधिनियम, 1954 द्वारा यथानिर्मित हिमाचल प्रदेश या यथानिर्मित उस राज्य के लिले या अन्य प्रादेशिक खण्ड के प्रति निर्देश है; और

(ख) किसी अन्य राज्य या उसके जिले या अन्य प्रादेशिक खण्ड के प्रति किसी निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह 1950 की जनवरी के 26वें दिन को यथागठित उस राज्य या उस जिले या अन्य प्रादेशिक खण्ड के प्रति निर्देश है।"

3. अनुसूची में,—

(क) बिलासपुर से सम्बन्धित भाग 3 का लोप कीजिए;

(ख) "भाग 4 से 10" को क्रमशः "भाग 3 से 9" के रूप में पुनःसंख्यांकित कीजिए;

(ग) हिमाचल प्रदेश से सम्बन्धित इस प्रकार पुनःसंख्यांकित भाग 5 में निम्नलिखित अंतःस्थापित कीजिए, अर्थात् :—

"31. जुलाहे
32. दुमने (भंजड़े)
33. चूहड़े
34. हेसी (तूड़ी)
35. छिम्बे (धोबी)
36. सरेहड़े
37. दाडले"।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।